राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9151/2011

नेमाराम गहलोत पुत्र स्वर्गीय समाजी गहलोत, आयु 58 वर्ष, निवासी- आदर्श गली, बड़गांव, जिला-शिवगंज। सिरोही (राजस्थान)

याचिकाकर्ता

बनाम

1. अपने मुख्य प्रबंधक, पीएफ और पेंशन विभाग के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली ।

2. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मानव संसाधन विकास विभाग, सर्कल ऑफिस, अंगीरा दर्पण, प्रथम तल, 802, चौपासानी रोड, जोधपुर (राज्य)।

3. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अंगिरा दर्पण, प्रथम तल, 802, चौपासानी रोड, जोधपुर (राज्य)।

प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राजेश परिहार के साथ

श्री देवम जैन

प्रतिवादियों के लिए : श्री जगदीश व्यास

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

30 जनवरी 2023

वर्तमान रिट याचिका 11.02.2011 (अनुलग्नक 9) के पत्र के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन योजना में शामिल होने के लिए दिए गए विकल्प को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वह एक अन्य पेंशन विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है।

मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जिसे पंजाब नेशनल बैंक में 31.12.1977 को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 30 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, 27.11.2007 को, सेवा से इस्तीफा देने के लिए आवेदन किया, 29.02.2008 को उक्त आवेदन स्वीकार किए जाने या उस पर जवाब दिए जाने से पहले, दिनांक 11.12.2007 के पश्चात्वर्ती आवेदन द्वारा, उसने एक स्पष्टीकरण दिया कि 27.11.2007 के उसके पहले के आवेदन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन माना जाना चाहिए, न कि इस्तीफे के लिए। दिनांक 11. 12. 2007 के आवेदन पर संबंधित बैंक प्रबंधक द्वारा संज्ञान लिया गया और उसी तारीख को उक्त तथ्य को क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसलिए, वह 29.02.2008 से सेवानिवृत्त हुआ ।

वर्ष 2010 में भारतीय बैंक संघ और विभिन्न बैंक कर्मचारी यूनियनों के बीच बैंक कर्मचारियों के विभिन्न नियमों और शर्तों के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त निपटान में बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए प्रावधान भी शामिल किया गया है। दिनांक 27.04.2010 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, प्रतिवादी बैंक द्वारा दिनांक 16.08.2010 को परिपत्र संख्या 8/2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'परिपत्र' कहा गया है) जारी किया गया था, जिसमें बैंक के कर्मचारियों को पेंशन योजना का विकल्प चुनने का विकल्प दिया गया था। उक्त विकल्प का उपयोग करने और पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए पात्र कर्मचारियों को 60 दिनों की अवधि दी गई थी।

दिनांक 03.09.2010 को याचिकाकर्ता ने उक्त विकल्प का प्रयोग किया और पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए अपनी लिखित सहमति दी । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने हिस्से और भविष्य निधि में योगदान के रूप में 2,97,482/- रुपये की राशि भी जमा की । प्रतिवादी बैंक द्वारा आवेदन

दिनांकित 03.09.2010 अस्वीकार कर दिया गया था और पत्र दिनांकित 11.02.2011 के अनुसार, उसे सूचित किया गया था कि क्योंकि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस के अलावा) ली है, वह परिपत्र दिनांकित 16.08.2010 के अनुसार पेंशन का विकल्प चुनने का पात्र नहीं है । याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि भी उसके खाते में वापस डाल दी गई। उक्त संसूचना से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है.

याची के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि याची समझौता दिनांकित 27.04.2010 और उसके बाद परिपत्र दिनांकित 16.08.2010 के संदर्भ में एक और पेंशन विकल्प का प्रयोग करने का बहुत हकदार था । वकील ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र में उन कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, जिन्होंने सरल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है या जो किसी विशेष योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं । यह केवल प्रतिवादी बैंक है जिसने परिपत्र के विपरीत इस तरह का अंतर निकाला है । वकील ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि वे कर्मचारी/अधिकारी जो 29.09.1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और उस तारीख के बाद लेकिन समझौता/संयुक्त नोट की तारीख 27.04.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे मौजूदा पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। बेशक, याचिकाकर्ता ने 29.09.1995 से पहले बैंक की सेवाओं में प्रवेश किया और 29.02.2008 को, अर्थात् समझौते की तारीख अर्थात् 27.04.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुआ । वकील ने आगे कहा कि **द्विपक्षीय** निपटान में बैंक के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक और पेंशन विकल्प प्रदान करने का प्रावधान है। समझौते में 'सेवानिवृत्त' शब्द का उपयोग सामान्य और व्यापक अर्थ में किया गया है और यह उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं है जो इस्तीफा/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के कारण सेवानिवृत्त हुए थे। समझौते का उद्देश्य सेवानिवृत्ति की प्रकृति को अलग किए बिना बैंक के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर करना था और इसलिए, प्रतिवादी बैंक द्वारा किया गया अंतर, सेटलमेंट के साथ-साथ परिपत्र के बिल्कुल विपरीत होने के कारण रद्द किए जाने का हकदार है ।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि याची समझौते के साथ-साथ परिपत्र द्वारा भी शासित नहीं हो सकता है । सबसे

पहले, याचिकाकर्ता ने सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ था । सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के बराबर नहीं माना जा सकता है।वकील ने प्रस्तुत किया कि संसूचना दिनांकित 13.02.2008, जिसके द्वारा याची का आवेदन स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से उल्लेख करता है कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था । दूसरा, प्रासंगिक समय पर, अवार्ड कर्मचारियों (पंचाट कर्मचारियों) के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने का कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए, अन्यथा भी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी अवार्ड कर्मचारी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के किसी प्रावधान के अभाव में, किसी कर्मचारी के लिए निर्धारित तिथि से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होने का एकमात्र रास्ता इस्तीफा के माध्यम से ही था। इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता ने सेवा से इस्तीफा दे दिया है और वह संबंधित समय पर लागू पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार नहीं था । इसलिए, जब याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर किसी भी पेंशन के लिए हकदार नहीं था, तो उसे बाद में हुए समझौते दिनांकित 27.04.2010 के आधार पर पेंशन के लिए हकदार नहीं माना जा सकता था ।

वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि परिपत्र के आधार पर, वे कर्मचारी जो प्रासंगिक समय पर पेंशन के हकदार थे, लेकिन उस समय कथित विकल्प का उपयोग नहीं किया, उन्हें विकल्प का उपयोग करने का दूसरा मौका दिया गया था । लेकिन, किसी भी तरह से, समझौते को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है ताकि उन कर्मचारियों को भी एक विकल्प दिया जा सके जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन के हकदार नहीं थे। उसके दावों के समर्थन में, प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय/निर्णयों का दृष्टांत दिया है।

1. **बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा और अन्य (2020) 3 एस.सी.सी 346।**

2. **भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और अन्य बनाम श्री लाल मीणा (2019) 4 एस. सी. सी. 479**

3. **एम. आर. प्रभाकर और अन्य बनाम केनरा बैंक और अन्य (2012) 9 एस.सी.सी. 671.**

4. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम वेंकटेश गोपाल महिषी और अन्य (2006) 12 एससीसी 20**

प्रत्युत्तर तर्कों में, याची के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि हर तरह से, याची ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था और उसका आवेदन प्रतिवादी बैंक द्वारा केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए स्वीकार किया गया था । इसे किसी भी तरह से इस्तीफा नहीं कहा जा सकता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि यह एक इस्तीफा होता, तो याचिकाकर्ता की पिछली सेवा के सभी लाभ जब्त हो जाते, जो निश्चित रूप से, उसके मामले में नहीं किए गए हैं । वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन विनियम, 1995 के संदर्भ में पेंशन का बिलकुल हकदार था और इसलिए, द्विदलीय समझौते द्वारा प्रदान किए गए विकल्प का उपयोग करने का भी हकदार था । उसकी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

1. **शशिकला देवी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, एआईआर 2015 एससी 2434**

2. **एन. सुरेश प्रभु और अन्य बनाम कार्पोरेशन बैंक और भारतीय बैंक संघ और अन्य आईएलआर 2013 कर्नाटक 400**

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम वीरेन्द्र सिंह सिवाच, 2012 की एलपीए संख्या 735 (ओ एंड एम), दिनांक 09.10.2015 को विनिश्चित किया गया। (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)

बृजमोहन छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 1158/2012, दिनांक 31.05.2016 को विनिश्चित। (राजस्थान उच्च न्यायालय)

पक्षकारों के विद्वत वकील को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया.

वर्तमान रिट याचिका में जो पहला मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या 27.11.2007 और 11.12.2007 दिनांकित आवेदन त्यागपत्र के पत्र थे या वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पत्र थे.

शशिकला **देवी के** मामले में (ऊपर) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त कीः

> "दिया गया पत्र सरल त्यागपत्र पत्र है या नहीं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक अनुरोध माना जा सकता है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और लागू नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।..."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में 'इस्तीफा' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' से संबंधित सभी पूर्व कानूनों पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि संसूचना/पत्र में केवल 'इस्तीफा' शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं हो सकता है। इसका निष्कर्ष प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकालना होगा। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, हालांकि याची ने त्यागपत्र के लिए आवेदन दिनांकित 27.11.2007 द्वारा आवेदन किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद आवेदन दिनांकित 11.12.2007 द्वारा, उसने स्पष्ट किया कि उसका आवेदन दिनांकित 27.11.2007 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन माना जाना चाहिए, इस्तीफे के लिए नहीं । याचिकाकर्ता का इरादा केवल स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने शासी नियमों के अनुसार तीन महीने का नोटिस दिया था । यदि उनका इस्तीफा देने का इरादा था, तो तीन महीने का ऐसा कोई पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, आवेदन दिनांकित 11.12.2007 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया था और उसे उसी तारीख को उच्च प्राधिकारियों को विशिष्ट सिफारिश के साथ अग्रेषित किया गया था कि आवेदन दिनांकित 27.11.2007 को, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया था, केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन माना जाए । तीसरा, बैंक द्वारा दिनांक 11.12.2007 के आवेदन के रिकॉर्ड पर कोई अस्वीकृति उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, दिनांक 11.02.2011 के आक्षेपित पत्र में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्त था,

हालांकि 2010 की विशेष योजना के संदर्भ में नहीं । परिपत्र के संदर्भ में याची द्वारा आवेदन दिनांकित 03.09.2010 को भी इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया है कि उसने सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि इस आधार पर कि वह विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त नहीं हुआ था ।

शशिकला **देवी के** मामले में (ऊपर) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया थाः

> "किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार की छूट के लिए, यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट और बोधगम्य हो, सचेत हो और उसे परिणामों की पूरी जानकारी हो।
>
> .....
>
> हमारी राय में यह स्पष्ट है कि पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है, ताकि ऐसे प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से वंचित करने के बजाय उनके उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी के पास पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता सेवा के अपेक्षित वर्ष हैं और जहां वह लागू सेवा शर्तों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है, वहां कथित इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में मानते हुए पेंशन के लाभ की अनुमति दी गई है। हमें वर्तमान मामले में भी ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखते हैं, जो हमारी राय में मृतक कर्मचारी का मामला है जो इस्तीफा देने के बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है."

शील **कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2011) 12 एससीसी 197 में तथ्य कुछ** हद तक मामले के समान थे। उस मामले में अपीलकर्ता एक बीमा कंपनी का कर्मचारी था जो ऐसी पेंशन योजना

द्वारा शासित थी, जिसमें, जैसा कि इस मामले में है, अगर कोई कर्मचारी अपने रोजगार से इस्तीफा दे दे तो उसकी पूरी सेवा को जब्त करने का प्रावधान था। अपीलार्थी ने एक त्यागपत्र प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त योजना के तहत उसके सेवा लाभों से इंकार कर दिया गया । तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कर्मचारी ने अर्हता सेवा पूरी कर ली थी और योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का हकदार था, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते की उसने अपनी पेंशन खोने के लिए इस्तीफा दिया हो। न्यायालय ने कहाः

> "1995 की पेंशन योजना के पैरा 22 में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के निगम या कंपनी की सेवा से इस्तीफा देने पर उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी और इसके परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन 'इस्तीफा' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। 1995 की पेंशन योजना के पैरा 30 के उप-पैरा (1) के तहत, कोई कर्मचारी जिसने 20 साल की अर्हता सेवा पूरी कर ली है, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम 90 दिनों का नोटिस दे कर सेवानिवृत हो सकता है और 1995 की पेंशन योजना के पैरा 30 के उप-पैरा (2) के तहत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में पिछली सेवाओं को जब्त नहीं किया जाता है और इसके बजाय पेंशन के लिए पात्र होता है, इसलिए 1995 की पेंशन योजना का पैरा 30 जिस कर्मचारी पर लागू होता है, उसे सेवा से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है।"
>
> 26. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे और सेवा छोड़ने के अपने इरादे की नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम 90 दिनों की सूचना दी थी और नियुक्ति प्राधिकारी ने अपीलार्थी की सूचना स्वीकार

> कर ली थी और उसे सेवा से मुक्त कर दिया था । इसलिए, 1995 पेंशन योजना के पैरा 30 ने अपीलकर्ता को लागू किया, भले ही उसने प्रतिवादी 1 कंपनी के महाप्रबंधक को दिनांक 16-9-1991 के अपने पत्र में 'इस्तीफा' शब्द का उपयोग किया था....."

जब उपर्युक्त तथ्यों और इस मुद्दे पर स्थापित कानून की पृष्ठभूमि में देखा गया, तो इस न्यायालय की विशिष्ट राय है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त किया था और उसने सेवाओं से इस्तीफा नहीं दिया था.

अब, जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ है, तो अगला मुद्दा यह उठता है कि क्या वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन के लिए हकदार था.

बेशक, प्रत्यर्थी बैंक को शासित करने वाले पेंशन विनियम वर्ष 1995 में अस्तित्व में आए थे, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 था (इसमें इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है.

नियम 2 (के) में सेवानिवृत्ति की तिथि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः उक्त विनियमों के नियम 2 में विनियमों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाओं का प्रावधान है।

> "सेवानिवृत्ति की तारीख"" से उस महीने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है, जिसमें कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख, जिस दिन वह बैंक द्वारा सेवानिवृत्त **किया जाता है या जिस तारीख को वह कर्मचारी** स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या जिस तारीख को वह अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ माना जाता है।"

नियम 2 (1) में 'सेवानिवृत्त समझे गए' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः -

> "सेवानिवृत्त हुआ माना जाता है" का अर्थ है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति पर बैंक की सेवा से समाप्ति। बैंक में

> पूरे समय के निदेशक या प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष के रूप में या अधिनियम की पहली अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट किसी अन्य बैंक में या बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 के 40) में या कोई भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 (1955 का 23) के तहत स्थापित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ।"

नियम 2 (एन) में कर्मचारी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-

> "कर्मचारी" का अर्थ है बैंक की सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति, चाहे एक काम करने वाला पूर्णकालिक रूप से स्थायी आधार पर काम करता है या स्केल वेतन पर स्थायी आधार पर अंशकालिक काम करता है, या एक अधिकारी के रूप में, और जो इन विनियमों का चयन करता है और उन के द्वारा शासित होता है, लेकिन अनुबंध के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति को शामिल नहीं करता है।

नियम 2 (यू) 'पेंशनर' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः-'पेंशनर' का अर्थ है इन विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी. नियम 2 (एक्स) 'सेवानिवृत्त' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः-'सेवानिवृत्त' में खंड (1) के तहत सेवानिवृत्त माना गया है. नियम 2 (वाई) 'सेवानिवृत्ति' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः -

"सेवानिवृत्ति" से अभिप्रेत है बैंक की सेवा की समाप्ति।

(क) सेवा विनियमों या समझौतों में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

(ख) इन विनियमों के विनियम 29 के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर

(ग) सेवा विनियमों या समझौतों में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर।

उपर्युक्त प्रावधानों/परिभाषाओं पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बैंक में स्थायी रूप से कार्यरत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक, इन विनियमों द्वारा शासित होगा। बेशक, याचिकाकर्ता बैंक के साथ स्थायी आधार पर काम करने वाला एक पूर्णकालिक कर्मचारी था । सेवानिवृत्ति की तिथि में वह तिथि भी शामिल है जिस पर कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है और यहां तक कि वह तिथि भी जिस पर बैंक द्वारा किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाता है और यहां तक कि वह तिथि भी जिस पर अधिकारी को सेवानिवृत्त माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस परिभाषा में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो बैंक द्वारा सेवानिवृत्त किए गए हैं और वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो किसी विशेष योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के किसी विभेद/विनिर्देश के बिना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। जैसा कि परिभाषित किया गया है 'सेवानिवृत्त' शब्द में विशेष रूप से प्रावधान है कि इसमें वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो खंड (1) के तहत सेवानिवृत्त समझे जाते हैं यानी वे कर्मचारी जो किसी अन्य सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में कोई रोजगार करते हैं। 'सेवानिवृत्ति' शब्द में विनियम 29 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति शामिल है।

विनियमन 29 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन

(1) 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् किसी कर्मचारी द्वारा अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर है या विदेश में अध्ययन के लिए छुट्टी पर है, जब तक कि स्थानांतरित होने या भारत लौटने के बाद उन्होंने भारत में पद का प्रभार फिर से नहीं लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा में रहा हो।

परन्तु यह उपविनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वशासी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है, चाहे वह संस्था निगमित हो या नहीं, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्रतिनियुक्ति पर हैः

बशर्ते कि यह उप-विनियम किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे विनियमन 2 के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त माना जाता है।

उप-विनियम (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति अपेक्षित होगी।

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति देने से इंकार नहीं करता है, वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(क) उप-विनियम (1) में संदर्भित कर्मचारी तीन महीने से कम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध कर सकता है।

(ख) खंड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गुणागुण के आधार पर तीन महीने की नोटिस की अवधि को कम करने के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि नोटिस की अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की नोटिस की आवश्यकता में छूट दे सकता है कि कर्मचारी तीन महीने की सूचना की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

कोई कर्मचारी, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव किया है और इस आशय की आवश्यक सूचना नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को दी है, ऐसे प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस लेने से वंचित किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की नियत तारीख से पहले किया जाएगा।

इस विनियम के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा में इस शर्त के साथ इतनी अवधि बढ़ाई जाएगी (अधिकतम 5 वर्ष तक) कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल अर्हक सेवा किसी भी स्थिति में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाएगी।

इस विनियम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और उसकी पात्रता में में वृद्धि (पांच वर्ष से अधिक नहीं) उसे अपनी पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन के किसी भी काल्पनिक निर्धारण का हकदार नहीं बनाएगी।"" "."

उपर्युक्त विनियम के केवल पठन से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने अर्हता सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए हों, लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। उपर्युक्त विनियमन के लिए केवल अपवाद यह है कि यह उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी अन्य उपक्रम में स्थायी रूप से समाहित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहता है और उन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जो विनियमन 2 के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त हुए समझे जाते हैं। बेशक, याची ऊपर इंगित किए गए अपवादों में से किसी में नहीं आता है और इसलिए, निश्चित रूप से विनियम 29 द्वारा शासित होगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए निश्चित रूप से हकदार था । याचिकाकर्ता बेशक वर्ष 1993 के बाद सेवानिवृत्त हो गया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख पर 20 साल से अधिक की अपनी अर्हता सेवाओं को भी पूरा कर लिया था । निश्चित रूप से, वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन के हकदार थे। इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील द्वारा लिया गया आधार कि याचिकाकर्ता एक पंचाटाधीन कर्मचारी होने **के** नाते, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए और दूसरा, पेंशन के लिए विकल्प चुनने का हकदार नहीं है, इसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता है.

बृजमोहन **छाबड़ा के मामले** में (उपर्युक्त) लगभग समान स्थिति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की समन्वयक न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित कियाः

" वर्तमान मामले के तथ्य प्रभाकर के मामले में स्थिति के विपरीत हैं, **जिसमें उस** समय जब अपीलकर्ता (उसमें) ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया था, सेवानिवृत्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था और केवल इस्तीफे के लिए एक प्रावधान था।वर्तमान मामले में, जब प्रत्यर्थी ने 2008 में अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया था, 1995 पेंशन विनियम अस्तित्व में थे, जिसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की सूचना देकर 20 साल की सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का प्रावधान था।

यदि यह त्यागपत्र था तो दोनों तरफ से किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी और त्यागपत्र सीधे ही स्वीकार किया जा सकता था।पेंशन नियम स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पेंशन की पात्रता की अनुमति देते हैं जो वर्तमान मामले में किया गया है।

परिणामस्वरूप, उपर्युक्त रिट याचिका स्वीकार की जाती है है और दिनांक 28.4.2011 के आक्षेपित पत्र/अस्वीकृति पत्र को रद्द किया जाता है।इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पेंशन विनियमों के विनियम 29 के अनुसार 20 वर्षों से अधिक अर्हक सेवाएं दी हैं और स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, इस प्रकार वह पेंशन योजना के लाभों के हकदार हैं।"

उपरोक्त पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि याचिकाकर्ता 1995 के विनियमों द्वारा शासित है और इसलिए, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ-साथ पेंशन के लिए भी आवेदन करने का हकदार था.

अगला **मुद्दा जो** अब उठता है, वह यह होगा कि क्या याचिकाकर्ता वर्ष 2010 के समझोते और परिपत्र के संदर्भ में पेंशन निधि का सदस्य होने के अपने विकल्प का प्रयोग करने का हकदार था? दिनांक 16.08.2010 के परिपत्र के खंड 3.2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया हैः -

> दिनांक 27 अप्रैल 2010 के समझोते/संयुक्त नोट के संदर्भ में, मौजूदा पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निम्न के लिए एक और विकल्प का विस्तार किया जाएगाः -
>
> 1.....
>
> 2. वे कर्मचारी/अधिकारी जो 29 सितंबर 1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और उस तारीख **के** बाद लेकिन समझोते की तारीख/संयुक्त नोट तारीख 27.04.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे बशर्ते किः
>
> प्रस्ताव की तारीख से 60 दिनों के भीतर पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित विकल्प का उपयोग करें।
>
> 2. फंडिंग गैप के 30% को पूरा करने की दिशा में, 60 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के योगदान की पूरी राशि और सेवानिवृत्ति पर उसके द्वारा प्राप्त ब्याज के साथ-साथ योगदान में उसके हिस्से की राशि को वापस करना। व्यक्तिगत आधार पर भविष्य निधि में बैंक के योगदान और उस पर ब्याज के अलावा भविष्य निधि में बैंक के योगदान और सेवानिवृत्ति पर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त ब्याज की उक्त राशि के 56 प्रतिशत का भुगतान निधारित किया गया है।उपर्युक्त खंड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त खंड में इस्तेमाल किया गया शब्द 'सेवानिवृत्त' है।

इसका मतलब है कि समझोता या परिपत्र किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तरीके के आधार पर कोई अंतर नहीं करता है।

इस परिपत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में देखा गया है, 'सेवानिवृत्त' शब्द की परिभाषा में वे कर्मचारी शामिल हैं जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता कथित परिभाषा के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से शामिल था।

जहां तक प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का संबंध है, यह निम्नलिखित कारणों से मामले में लागू नहीं होगाः

(1) **घनश्याम चंद शर्मा** का मामला (उपर्युक्त) वह था जिसमें याचिकाकर्ता ने पेंशन **संबंधी** लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा को पूरा नहीं किया **था।** दूसरा, उसमें याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इसलिए, बाद में उसने इस्तीफे के लिए **आवेदन** किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और तीसरा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अंतिम इस्तीफे से इनकार होने के 13 साल बाद रिट याचिका पेश की गई थी।

(2) **श्री लाल मीणा** का मामला (पूर्वोक्त) वह मामला था जिसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 01.10.1993 को 1976 की स्कीम लागू थी जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी।तीन वर्षों के बाद 01.11.1993. से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणा को लागू करने के लिए एक धारा जोड़कर योजना में संशोधन किया गया। इसके बाद कर्मचारी ने 1995 की योजना के आधार पर पेंशन की मांग करते हुए 04.04.2013 को एक ज्ञापन दायर किया।याची के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि 1995 की योजना उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर भी अस्तित्व में नहीं थी और इसलिए, वह किसी भी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा.

(3) एम. आर. प्रभाकर के मामले **में भी** ऐसा ही हुआ था (उपर्युक्त), जिसमें त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख पर कर्मचारियों को बैंकों की पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं किया गया था।

(4) **वेंकटेश गोपाल महिषी** का मामला (उपर्युक्त) ऐसा मामला था जिसमें नियमों की शर्तों के अनुसार, उन कर्मचारियों को पेंशन के विकल्प का लाभ नहीं दिया गया था जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए थे और साथ ही जिनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी थी। यह वह मामला था जिसमें कर्मचारी ने चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति मांगी थी, कथित अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था और बाद में उसके बेटे को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी।उन परिस्थितियों में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह पेंशन लाभों का हकदार नहीं था।

परिपत्र के विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की विशिष्ट राय है कि याची समझौता और साथ ही वर्ष 2010 के परिपत्र द्वारा शासित होने का हकदार था.परिपत्र के खंड 2(4) के आधार पर प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील द्वारा लिया गया आधार तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उसी को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना है, न कि एक सीमित परिप्रेक्ष्य में.उक्त खंड के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 15 साल की सेवा देने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, उन्हें भी परिपत्र के संदर्भ में अपने विकल्प का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था।इसका अर्थ यह है कि उक्त खंड द्वारा अर्हक सेवा की 20 वर्ष की शर्त में ढील दी गई थी और जिन कर्मचारियों ने अर्हक सेवा की अवधि पूरी होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, उन्हें भी उक्त परिपत्र द्वारा शासित होने के हकदार माना गया था।उक्त खंड स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शर्तों में ढील देने के इरादे से एक लाभकारी विधान है और इसे उन कर्मचारियों के नुकसान के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि इसकी व्याख्या केवल उन कर्मचारियों पर लागू की जा सके जिन्होंने किसी विशेष योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था।

परिपत्र के साथ-साथ समझोते का आशय खंड 2 (5) से भी स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान है कि पेंशन/परिवार पेंशन उन लोगों को देय होगी, जो पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं और 27.04.2010 के समझोते/संयुक्त नोट में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हैं।इसका अर्थ यह है कि उक्त परिपत्र उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने पेंशन योजना में अब शामिल होने का विकल्प चुना है।इस योजना का एकमात्र अपवाद वे कर्मचारी थे जो 01 अप्रैल, 2010 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि परिपत्र के खंड 2 (4) का उद्देश्य केवल उन कर्मचारियों को शामिल करना है जो किसी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में उभरे सभी मुद्दों को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बाद, वर्तमान रिट

याचिका स्वीकार **की** जाती है। पत्र दिनांक 11.02.2011 (अनुलग्नक 9) एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थी बैंक को याची के आवेदन दिनांकित 03.09.2010 पर कार्रवाई करने और उसे उसके द्वारा पूरी की जा रही अन्य शर्तों के अध्यधीन आवेदन की तारीख से मौजूदा पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता । वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर बैंक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(रेखा बोराना), न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.